न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. आसूराम पुत्र ताजाराम उम्र 48 वर्ष बनाम 2. बांकाराम पुत्र खेताराम उम्र 62 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	1.मांगीलाल पुत्र पन्नाराम उम्र 42 वर्ष 2.हरखुदेवी पत्नी पन्नाराम उम्र 70 वर्ष 3.रावताराम पुत्र नगाराम उम्र 70 वर्ष 4.जेठाराम पुत्र पाबूराम उम्र 30 वर्ष 5.कौशलाराम पुत्र पाबूराम उम्र 28 वर्ष 6.रूगाराम पुत्र पाबूराम उम्र 26 वर्ष 7.तिलोकाराम पुत्र पाबूराम उम्र 24 वर्ष 8.धुड़ी पत्नी पाबूराम उम्र 47 वर्ष 9.बींजाराम पुत्र ताजाराम उम्र 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासी खतियों का तला, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर। 10.तहसीलदार, बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के मूल राजस्व वाद संख्या 142 / 2016 बअनवान मांगीलाल वगैरा बनाम आसूराम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2018।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नरपतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 15.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 537 रकबा 140.12 बीघा मौजा खतियों का तला पटवार क्षेत्र चोखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर में आया हुआ है जिसमें वादी–उतरदाता संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, वादी–उतरदाता संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, वादी–उतरदाता संख्या 4 से 8 का 1/12 हिस्सा व वादी–उतरदाता संख्या 9 का 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 2 का 1/12 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु से मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार बायतु स्वयं ने मौके पर न जाकर अपने अधिकार हल्का पटवारी व आर.आई को प्रत्यायोजित करते हुए विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी एवं आर.आई द्वारा मौके के अनुरूप नहीं है। आलाच्य विभाजन प्रस्ताव में सड़क को मध्य से हटाकर बीजाराम के हिस्से में दक्षिणी ओर से बार–बार मोड़ देकर कायम किया है। जो मौके के प्रतिकूल है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलांट के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि व उनकी रहवासी ढाणी आदि उतरदातागण के हिस्से में चली गई है। अपीलांटगण की बिना साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित किया तथा विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलांटगण से आपत्ति व उजरात नहीं लिये गये तथा उतरदातागण की एकपक्षीय बहस सुनकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किये इसके बावजूद भी 25.04.2018 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा स्कीम पर केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय बायतु राजस्व वाद संख्या 142/2016 बअनवान मांगीलाल वगैरा बनाम आसूराम वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

15/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner